A8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 11/2011

वादीगण :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. मांगीलाल पुत्र सदा (फौत)		1. पेमाराम पुत्र कानाराम
के कायम मुकाम :-		2. धर्माराम पुत्र कानाराम
1/1 देवाराम पुत्र शिवजीराम		3. छोटाराम पुत्र कानाराम
1/2 पोकरराम पुत्र शिवजीराम		4. समुदेवी पुत्री कानाराम
1/3 नैनी देवी पुत्री शिवजीराम		5. रूकमादेवी पुत्री कानाराम
1/4 चन्द्रादेवी पुत्री शिवजीराम		6. लालाराम पुत्र भोलाराम
1/5 केलकी पत्नि शिवजीराम		7. श्रीराम पुत्र अन्ना
जातियान-जाट, निवासीगण-लौटोती, तहसील-जैतारण, जिला-पाली(राज.)		8. भंवरीया पुत्र अन्ना जातियान - जाट, निवासीगण-लौटोती तहसील-जैतारण, जिला-पाली 9. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.07.01.2011**

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 25/05/2015**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-लौटोती, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादीगण मांगीलाल एवं वादी संख्या दो व तीन के पिता शिवजी दोनों ही सगे भाई हैं। यानि मांगीलाल व शिवजी दोनों ही सगे भाई होकर सदा के पुत्र हैं, जो मौजा-लौटोती के रहवासी एवं भारतीय नागरिक हैं एवं इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 से 6 भी प्रतिवादीगण के ही परिवारिक सदस्य हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 गौत्र जाखड़ जाति-जाट से हैं। जिनके पूर्वज एक ही हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि मौजा-लौटोती, तहसील-जैतारण खसरा नम्बर 434 रकबा 5-11 बीघा किस्म चा0चा0, खसरा नम्बर 435 रकबा 0-09 बीघा किस्म गै0मु0, खसरा नम्बर 436 रकबा 9-04 बीघा किस्म चा0चा0, कुल किता-3 कुल रकबा 15-04 बीघा एवं खसरा नम्बर 71 रकबा 8-18 बीघा किस्म बा0अ0 की आई हुई हैं। खसरा नम्बर 434, 435 व 436 की भूमि में वादीगण का 1/4वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/4वां हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 1/2 हिस्सा हैं। इसी प्रकार खसरा नम्बर 71 की आराजी में वादीगण का 1/2वां हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/2वां हिस्सा हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण सभी माफिक हिस्से व हक अनुसार मौके पर काबिज होकर के शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे हैं। उक्त आराजी में वादीगण व उनके पूर्वजों का 1/4वें हिस्से एवं 1/2वें हिस्से

Scanned by CamScanner

A 8/2

की भूमि पर कब्जा व काश्त हैं। इस आराजी पर वादीगण व उनके पूर्वज तिल, ज्वार, चिपटा, मूंग आदि की फसले बोते आ रहे हैं। जिसके प्रमाण स्वरूप खसरा गिरदावरी सम्वत् 2010 से 2020 की इस वाद पत्र के साथ पेश की हैं। जिसमें सालाना बोई गई फसलों का ब्यौरा व वादीगण की काश्त लिखी गई हैं। जिससे साबित हैं कि इन विवादित आराजी पर वादीगण व उनके पूर्वज काबिज होकर के काश्त कर रहे थे। नकल सभी खसरा गिरदावरियों की इस वाद के साथ पेश की हैं। विवादित आराजी के वादीगण माफिक अपने हक हिस्से अनुसार काबिज होकर के काश्त कर रहे हैं तथा वादीगण से पूर्व इनके पूर्वज काश्त कर रहे थे। लेकिन वक्त सैटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों की गलती से वादीगण व उनके पूर्वजों का नाम खतौनी बन्दोबस्त व राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से रह गया था। यद्यपि उस समय भी आराजी पर वादीगण का कब्जा व काश्त था। लेकिन वादीगण व उनके पूर्वज अनपढ़ होने की वजह से एवं सैटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों द्वारा सही जांच नहीं करने से सहवन से राजस्व रेकर्ड में वादीगण व उनके पूर्वजों का नाम दर्ज नहीं हो पाया था। विवादित आराजी पर सैटलमेन्ट के पूर्व से ही सदा का कब्जा व काश्त था, उसके बाद लगातार वादीगण का कब्जा व काश्त हैं। इसलिये एडवर्स पजेशन के सिद्धान्तानुसार व धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानानुसार वादीगण माफिक अपने हक हिस्से व कब्जा काश्त के अनुसार विवादित आराजी को अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं व खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड में जरिये घोषणा के अपने नाम की घोषित कराने के अधिकारी होने से यह वाद पत्र बाबत् घोषणा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। विवादित आराजी उक्त वर्णित खसरा नम्बरान् की भूमि में क्रमशः वादीगण 1/4 हिस्से एवं 1/2 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण सभी की आराजी मौके पर अलग-अलग बंटी हुई हैं तथा सभी पक्षकार माफिक अपने-अपने हक हिस्से अनुसार काश्त कर रहे हैं। लेकिन सम्पूर्ण भूमि राजस्व रेकर्ड में शामलाती हैं। आराजी का अभी तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के किसी प्रकार से कोई बंटवाड़ा नहीं हुआ हैं। वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि पर बाद घोषणा के आधुनिक तरीके से काश्त करना चाहते हैं व इसके लिये बैंक के से साख पत्र बनवाये जाने की आवश्यकता हैं। इस बाबत् वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार निवेदन किया कि वे वादीगण के हक हिस्से की भूमि उनके नाम करवाकर बंटवाड़ा करवा देवें। लेकिन इसमें प्रतिवादीगण सहमत नहीं हुए हैं तथा दिनांक 01/10/2010 को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने इस आराजी के बंटवाड़ा व वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में नहीं होने को लेकर भारी विवाद किया व समाज व गांव वालों द्वारा समझाने पर भी नहीं माने। दिनांक 12/11/2010 को आराजी का बंटवाड़ा कराने से व वादीगण के हक हिस्से की आराजी उनके नाम करवाने से स्पष्ट रूप से ईन्कार कर दिया। वादीगण अपनी भूमि का बंटवाड़ा बाद घोषणा के कराने के विधिक अधिकारी हैं। विवादित आराजी पर वादीगण माफिक अपने हक हिस्से अनुसार अपने पिता प्रपिता के समय से काबिज होकर के काश्त करते आ रहे हैं तथा वर्षो से फसल बोते व भोगते आ रहे हैं। जिसमें अभी तक प्रतिवादीगण व अन्य किसी व्यक्ति ने किसी प्रकार की हस्तक्षेप व दखलन्दाजी नहीं की हैं। लेकिन अब प्रतिवादीगण की नियत खराब हो गई हैं। विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज नहीं होने की वजह से प्रतिवादीगण इस आराजी से वादीगण को बेदखल कर आराजी अन्य हस्तान्तरण करना चाह रहे हैं तथा आये दिन वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने की कुचेष्ठा कर रहे हैं। अगर

उपखण्ड अधिकारी
रेवदर (सिरोही)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण ऐसा दुष्कृत्य करने में सफल हो गये, तो वादीगण को असीम क्षति होगी। वादीगण अपने पैतृक व पुश्तैनी आराजी से हमेशा-हमेशा के लिये वंचित हो जायेगें एवं वादीगण प्रतिवादीगण के ऐसे अवैधानिक कृत्य का विरोध भी करेगें। जिससे विवाद बढ़ेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। प्रतिवादी संख्या 9 भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि हैं व इस वाद में आवश्यक पक्षकार हैं, जिनकों पक्षकार बनाया गया हैं। जिनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक होता हैं। परन्तु वाद अत्यन्त ही आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस देने में लम्बा समय लगने की संभावना हैं। इसलिये नोटिस देना डिस्पेन्सविथ कर यह वाद पेश किया जा रहा हैं, अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र साथ पेश किया हैं। बिनाय वाद दिनांक 01/10/2010 को प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी को लेकर के जबरदस्ती विवाद करने व वादीगण को इस आराजी से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने व ऐसा प्रयास करने पर बमुकाम-लौटोती, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ हैं। जो अन्दर म्याद व श्रीमान् के क्षैत्राधिकार में हैं। इस प्रकार माफिक दावा वादीगण ने वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआं की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किय गये। प्रतिवादीगण संख्या 7 से 9 बावजूद तामिली / सूचना बार-बार आवाजें दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से दिनांक 15/03/2011 को इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की ओर से दिनांक 19/05/2011 को जबाबदावा पेश किया, सामिल मिसल किया गया।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-लौटोती में पेश हुई। वादीगण 1/1, 1/2, 1/4 व 1/5 तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 से 6 ने आज लोक अदालत की भावना से एक तहरीरी राजीनामा इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-लौटोती में स्थित खसरा नम्बर 434 रकबा 5-11 बीघा, ख0नं0 435 रकबा 09 बिस्वा, 436 रकबा 9-04 बीघा, खसरा नम्बर 71 रकबा 8-18 बीघा का वादीगण ने वाद किया। माफिक वाद वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तो प्रतिवादीगण को कोई आपति एवं एतराज नहीं हैं। यानि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया हैं। राजस्व वाद संख्या 95/10 पेमा बनाम श्रीराम में वक्त बंटवाड़ा रास्ता की 12 फिट चौड़ाई में शामलाती रहेगी। प्रतिवादीगण 4 से 6 की ओर से सहमति वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के साथ खातेदार काश्तकार घोषित करने में हैं। हमारे हिस्से की भूमि के साथ वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। राजीनामा पृथक से तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया।

राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-लौटोती में उपस्थित पक्षकारानों को सुना गया। उपस्थित वादीगण एवं प्रति0 संख्या 4 से 6 ने राजीनामा अनुसार माफिक दावा डिक्री किये जाने की स्वीकारोक्ति दी हैं। लिहाजा माफिक राजीनामा दावा वाद-पत्र वादी का वाद डिक्री किया जाना अर्थात् वादीगण को प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते हैं। उक्त विवादित भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स रा0वा0सं0 95/2010 पेमाराम बनाम श्रीराम वगैरह में करवाया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

A8/4

–::आदेश::–

अतः माफिक राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री किया जाता हैं। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा–लौटोती, तहसील–जैतारण खसरा नम्बर 434 रकबा 5–11 बीघा, खसरा नम्बर 435 रकबा 0–09 बीघा, खसरा नम्बर 436 रकबा 9–04 बीघा, कुल किता–3 कुल रकबा 15–04 बीघा किस्म चा0चा0 एवं गै0मु0 एवं खसरा नम्बर 71 रकबा 3–18 बीघा किस्म बा0अ0 की पैतृक व पुश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के साथ वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। तहसीलदार जैतारण को डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 25.05.2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–लौटोती में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री A9
1

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

जलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0 वादी :-

गण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

मांगीलाल पुत्र सदा (फौत)
के कायम मुकाम :-
/1 देवाराम पुत्र शिवजीराम
/2 पोकरराम पुत्र शिवजीराम
/3 नैनी देवी पुत्री शिवजीराम
/4 चन्द्रादेवी पुत्री शिवजीराम
/5 केलकी पत्नि शिवजीराम
जातियान-जाट, निवासीगण-लौटोती,
त.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. पेमाराम पुत्र कानाराम
2. धर्माराम पुत्र कानाराम
3. छोटाराम पुत्र कानाराम
4. समुदेवी पुत्री कानाराम
5. रुकमादेवी पुत्री कानाराम
6. लालाराम पुत्र भोलाराम
7. श्रीराम पुत्र अन्ना
8. भंवरीया पुत्र अन्ना
जातियान - जाट,
निवासीगण-लौटोती
तहसील-जैतारण, जिला-पाली
9. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

मु0न0 :रा0वा0स0:11/2012

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा, घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 92ए राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरू ....-........ व हाजरी श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा वादीगण का वाद डिक्री किया जाता हैं। डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-लौटोती, तहसील-जैतारण खसरा नम्बर 434 रकबा 5-11 बीघा, खसरा नम्बर 435 रकबा 0-09 बीघा, खसरा नम्बर 436 रकबा 9-04 बीघा, कुल किता-3 कुल रकबा 15-04 बीघा किस्म चा0चा0 एवं गै0मु0 एवं खसरा नम्बर 71 रकबा 8-18 बीघा किस्म बा0अ0 की पैतृक व पुश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के साथ वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ....-....मुबलिक.....-....बाबत.....-....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 25/05/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला (पाली)

Scanned by CamScanner

ई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
म्प अर्जी दावा	२	००	स्टाम्प वकालतनामा	१	००
म्प वकालतनामा	१	००	स्टाम्प अर्जी		
म्प वजह सबूत	१२	००	महनताना वकील		
नताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
र्चा गवाहान	४	००	फीस कमीश्नर		
स कमीश्नर	—		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बत ईजराय हुक्मनामा	—		मुत्फरिक		
मिजानः-	१९	००	मिजानः-	१	००

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner